SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

Hardship faced by disabled people in getting their Aadhaar Card issued

डा. सुमेर सिंह सोलंकी (मध्य प्रदेश): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, नर्मदे हर!

माननीय सभापित महोदय, मैं आपका एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में एक विकट स्थिति बनी हुई है। दिव्यांग नागरिकों के हाथों के अंगूठे, उंगलियाँ तथा आँखों के न होने के कारण आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं, जैसे आयुष्मान कार्ड, मोबाइल कनेक्शन, राशन, पेंशन इत्यादि सरकारी योजनाओं, जिनमें आधार कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई है, उनका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सभापति महोदय, वर्तमान में, हमारे देश के कुछ महानगरों में ही फेस रीडिंग के माध्यम से आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया संचालित है, ..(व्यवधान)..जो कि हमारी सरकार का एक सराहनीय कदम है, परंतु देश के कोने-कोने में निवास करने वाले दिव्यांग जनों की पहुँच इन महानगरों तक नहीं है।..(समय की घंटी).. इसलिए दूर-दराज़ क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांग जन आज भी अपने आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं। यदि कुछ दिव्यांग भाई-बहनों के आधार कार्ड बन भी जाते हैं, तो उन्हें भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारतवर्ष में लगभग 2 करोड़, 10 लाख लोग किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं।..(व्यवधान)..

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं। श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूं। श्रीमती दर्शना सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूं। श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूं।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

12.00 Noon

APPEAL TO RESTORE ORDER IN THE HOUSE AND OTHER ISSUES

MR. CHAIRMAN: Question Hour. ...(Interruptions)... Question Hour. ...(Interruptions)... Question No. 91, Shri Niranjan Bishi....(Interruptions)...